कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-उनि/सशि/मु.म.बजट घोषणा/डिजीटल लिट्रेसी/2015-16/16 दिनांक:-30-01-2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, (मुख्यालय) राजस्थान

विषय:-अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्क्रम यथा CIC/CIT/BCA/MCA,RS-CIT and Course On Computer Concept (CCC) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुर्नभरण के संबंध में।

प्रसंग:-राज्य सरकार के आदेश क्रमांक FS(815)/DOIT/TECH/14/ML-4028 जयपुर दिनांक 07.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार ने प्रासंगिक आदेश द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विभिन्न पाठ्क्रम यथा CIC/CIT/ BCA/MCA (IGNU), RS-CIT (RKCL) and Course On Computer Concept (CCC)(NIELIT) कोर्स इत्यादि के शुल्क पुर्नभरण (वर्तमान एवं लंबित) व प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमानुसार राज्य कर्मी के पैतृक विभाग (मुख्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष) के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स के लिए विभाग के बजट अथवा कार्यालय व्यय से किए जाने के निर्देश जारी किए है।

अतः अधीनस्थ कार्यालयों एवं विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक/अधिकारी के शुल्क पुनर्भरण उनके पदस्थापन स्थल से किया जाएगा। इसके लिए बजट आवंटन बाबत अपने जिले की समेकित सूचना अग्रांकित प्रपत्र में प्रेषित करेंगे, ताकि तद्नुसार राज्य सरकार से बजट स्वीकृत करवाया जाए।

क्र. सं.	कार्यालय/ विद्यालय का नाम	कार्यालय/ विद्यालय की आई.डी.	कार्मिकों की संख्या जिन्हें पुनर्भरण किया जाना है						पुनर्भरण हेतु कुल राशि
			CIC	CIT	BCA	MCA	RS-CIT	CCC / NIELIT	

<u>उक्त क्रम में उन्हीं पाठ्यक्रमों के लिए हेतु बजट की मांग की जाए जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण हेतु मान्य की गई है।</u>

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. समस्त मण्डल संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजस्थान।
5. प्रबंधन निदेशक, आर. के. सी. एल.,जयपुर।
6. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
समाज शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर